



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71 नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2013/वीप 13, 1934
No. 71 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 2013/PAUSA 13, 1934

परमाणु ऊर्जा विभाग

अभियुक्त

मूबर्ह, 21 दिसम्बर, 2012

सं.क.वि. 7(अ).—सृष्टि, संविधान के अनुच्छेद 309 के पर्युक्त द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग के भाषा अनुसंधान केंद्र में निदेशक (सुरक्षा और सम्न्वयन) के पद पर पत्नी की पदवृत्ति का विनियमन करने के लिए विन्यमित नियम बनाने हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग निदेशक (सुरक्षा और सम्न्वयन, भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र) पत्नी नियम, 2012 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद संख्या, शर्णाकारण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका शर्णाकारण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से उपबन्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. पत्नी की पदवृत्ति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर पत्नी की पदवृत्ति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उसके संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. आरंभिक गठन.—अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे पदधारी जो विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 26/10(4)/97-सीसीएस/134, तारीख 23 फरवरी, 2000 के उपबंधों के अनुसार नियमित आधार पर उक्त पद को धारण किए हुए हैं, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्ति किए गए समाप्ति जापों और इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले निदेशक (सुरक्षा और सम्न्वयन) के रूप में उनकी नियमित और निरंतर सेवा को प्रोत्तति, मुक्ति और पेंशन के लिए परीक्षा, अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिख जाएगा।
5. विहाता.—यह व्यक्ति—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

6. विहाता.—यह व्यक्ति—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. विहित करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह उप है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें संख्यबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी खास या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी।

7. व्यवृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्वसैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करता अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक (सुरक्षा और समन्वयन)	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड -4 ; 37400-67100 ₹ + ग्रेड वेतन 8900 ₹	चयन	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती/पुनर्नियोजन द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे मुख्य सुरक्षा अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-3, 15600-39100 ₹ + ग्रेड वेतन 7600 ₹ की श्रेणी में छह वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति : भारतीय पुलिस सेवा काडर से या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध अन्य सदृश सेवाओं या संगठनों से ऐसे अधिकारी जो सदृश श्रेणी में पदधारण किए हुए हैं या उससे ठीक निम्नतर श्रेणी में ग्रेड वेतन 8700 ₹ में न्यूनतम दो वर्ष अर्हक सेवा कर ली है। सीधी भर्ती/पुनर्नियोजन : राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध सेवाओं या संगठनों से सेवा निवृत्त ऐसे अधिकारी जो सदृश श्रेणी में पदधारण किए हुए थे

या उससे ठीक निम्नतर श्रेणी में ग्रेड वेतन 8700 रु० में न्यूनतम दो वर्ष अर्हक सेवा कर ली थी।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए पात्रता अवधि की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख रिक्रूट पद वाले वर्ष की 1 जनवरी होगी।

टिप्पण 2 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 4 : चयन में अभ्यर्थियों का साम्राज्य अंतर्गत होगा।

टिप्पण 5 : पेशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी संक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे/इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

	टिप्पण 6 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	मर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र - सदस्य 3. अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य 4. महानिरीक्षक (सुरक्षा), परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य 5. सुसंगत विद्या विशेष का विशेषज्ञ जिसे सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नामनिर्देशित किया जाए - सदस्य 6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नामनिर्देशित - सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 26/1(1)/2009-सीसीएस/1046]

स्वाति पाण्डेय, निदेशक

स्पष्टीकारक ज्ञापन :- परमाणु ऊर्जा विभाग अपने कार्यालय ज्ञापन सं० 26/10(4)/97-सीसीएस/134 तारीख 23 फरवरी, 2000 के उपबंधों के अनुसार भाभा ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र में निदेशक (सुरक्षा और समन्वयन) की नियुक्ति करेगा ऐसा आरंभिक गठन इस विभाग द्वारा बनाए गए इन नियमों के उपबंधों के अधीन सेवा को जारी रखने के लिए अपेक्षित है। इस आरंभिक गठन के उपबंध करने से और इन नियमों के उपबंधों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st December, 2012

G.S.R. 7(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Security and Co-ordination), Bhabha Atomic Research Centre in the Department of Atomic Energy, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Atomic Energy Director (Security and Co-ordination, Bhabha Atomic Research Centre) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and the pay band and grade pay/pay scale.—The number of the said posts, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Initial Constitution.—The incumbents of the posts specified in the Schedule holding the said posts on regular basis in accordance with the provisions of the Department's OM No. 26/10(4)/97-CCS/134, dated 23rd February, 2000 shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service as Director (Security and Co-ordination) immediately before the commencement of these rules shall be counted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

554/13-2

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/ Pay scale.	Whether selection Post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Director (Security and Coordination).	1 (2012) * subject to variation depending on workload	General Central Service Group - A - Gazetted (Non-Ministerial)	Pay Band-4 Rs. 37400- 67000 + Grade Pay Rs. 8900/-	Selection	Not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion In which Deputation and In which both Direct Recruitment / re-employment	Promotion: Chief Security Officers in PB-3 Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 7600 who have completed six years of qualifying service in the grade. Deputation: Officers from Indian Police Service Cadre or officers from other analogous services or organisations related to national security holding posts in analogous grade or in the immediate lower grade having grade pay of Rs. 8700 with minimum qualifying service of two years Direct Recruitment/ Re-employment: Officers retired from services of organisations related	1. Secretary, Department of Atomic Energy - Chairman 2. Director, Bhabha Atomic Research Centre - Member 3. Additional Secretary, Department of Atomic Energy - Member 4. Inspector General (Security), Department of Atomic Energy - Member 5. Expert in the relevant discipline to be nominated by Secretary, Department of Atomic Energy - Member 6. Department of Personnel and Training nominee - Member	Not applicable

										<p>be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Note 4: The selection will involve interview of the candidates.</p> <p>Note 5: The Department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

